17

अध्याय

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

- प्रौद्योगिकी विशेष रूप से आईसीटी राष्ट्र के बदलते परिदृश्य के संबंध में एक मुख्य ताकत बन गई है। वर्ष 2016–17 में कोयला मंत्रालय ने एनआईसी से आईसीटी की सक्रिय सहायता से विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है तथा यह सक्षम डिजिटिल सेवा सोल्यूशन और ई–कौशल को नियोजित करने में सफल रहा है तथा इसने एक समृद्ध आईटी कार्यचालन परिवेश तैयार किया है।

- कोयला मंत्रालय में एनआईसी डिलिवरिंग तथा सुरक्षित मल्टी–प्लेटफार्म कम्प्यूटर आधारित अनुप्रयोगों तथा समाधानों, डाटाबेस स्पोर्ट और इंटरनेट, ई–मेल नेटवर्क और विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के लिए नवीनतम कंप्यूटर प्रणालियों से सुसज्जित है। कोयला मंत्रालय ने अवसंरचना का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और विस्तार को गति प्रदान करने के लिए एनआईसी–मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है।

- कोयला मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट http://coal.gov.in द्विभाषी, यूजर–फ्रेंडली है तथा इस पर सरल नैविगेशन से शीघ्र ही महत्वपूर्ण एवं नवीनतम अद्यतन सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्लटर्अ–फी रिस्पोंसिव डिजाइन से अन्त्य उपयोगकत्ताओं को साइट पर ही सभी हस्तचालित उपस्करों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वरिष्ठ अधिकारियों का ब्यौरा, मंत्रालय का संगठनात्मक ढ़ांचा, अधीनस्थ कार्यालयों के लिंक्स, नीतियों, वार्षिक रिपोर्टों, प्रकाशनों, अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, पॉलिसियों, आरटीआई के प्रकटीकरण, नवीनतम घोषणाओं तथा पत्रों आदि जैसी समृद्ध अद्यतित विषय वस्तु साइट पर उपलब्ध है।

- इसके अलावा, मंत्री कार्यालय की वेबसाइट – http://ujwalbharat.gov.in की देखरेख तथा रख–रखाव मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह साइट माननीय मंत्री महोदय की देखरेख में कोयला, विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान मंत्रालय की पहलकदमियां तथा उपलब्धियां दर्शाती है।

- मंत्रालय में कोल प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पोर्टल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। यह व्यापक एमआईएस कोयला क्षेत्र– उद्योग के सभी स्टेकधारकों, कोयला कंपनियों, सीआईएल, एनएलसीआईएल राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों तथा कोयला मंत्रालय को जोड़ता है। विभिन्न राज्यों तथा/अथवा विभागों सहित लंबित मामलों वाली कोयला परियोजनाओं को इस प्रणाली में प्रस्तुत किया जाता है। इस मंच पर इन मुद्दों का गहन अनुवीक्षण, विचार–विमर्श और समाधान किया जाता है ताकि इस संबंध में संचयी सूचना प्रापण तथा निर्णय लेने में विलंब को दूर किया जा सके।

- कोयला मंत्रालय में दिनांक 16.10.2016 से ई–फाईल शत प्रतिशत कार्यान्वित है। अब मंत्रालय में कोई फिजिकल फाईल अथवा फिजिकल मूवमेंट नहीं है। हस्ताक्षर और सरकारी पत्र जारी करने के लिए डीएससी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रभावी तथा पारदर्शी अंतर तथा अंतः सरकारी प्रक्रिया में शामिल होकर ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में कोल ई–ऑफिस मॉड्यूल्स–ई–लीव, ई–टूर, केएमएस प्रचालनरत हैं। ई–फाईल और ई–ऑफिस में निरंतर कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गैर–एनआईसीएनईटी नोड्स/लैपटाप पर वीपीएन की व्यवस्था की गई है।

- कोयला मंत्रालय ने अपने निवेशकों को सिंग्ल विंडो सुविधा प्रदान करनें के लिए एक वर्कफ्लो आधारित ऑनलाईन कोयला अनापत्ति पोर्टल विकसित किया है ताकि वे कोयला मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी मंजूरियों/अनापत्तियों तथा अनुमोदनों के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सके। इस पोर्टल को तैयार कर दिया गया है। यह उन सभी स्टेकधारियों के लिए डैशबोर्ड के रूप में कार्य करेगा जो कोयला खान पट्टा, पूर्वेक्षण

लाइसेंस, कोयला खान योजना, सीबीए अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और खान खोलने की अनुमति के लिए अनापत्ति प्राप्त करने में शामिल हैं तथा इच्छुक हैं। कोयला मंत्रालय के कोयला अनापत्ति पोर्टल को मंत्रिमंडल सचिवालय के ई–निवेश पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है।

- एनआईसी ने कोयला ब्लॉकों तथा कोयला लिंकेजों की मॉनीटरिंग के लिए व्यापक एकीकृत एमआईएस विकसित करनें हेतु एक विस्तृत अध्ययन किया है। इस अध्ययन में वर्कफलों का विश्लेषण तथा कोयला ब्लॉकों और लिंकेजों हेतु स्टेकधारियों के बीच सूचना का आदान–प्रदान शामिल है। सभी आवश्यकताओं का आकलन किया गया है तथा क्रियात्मक आवश्यकता संबंधी अध्ययन शुरू किया गया है। सभी स्टेकधारियों की संतुष्टि के अनुसार चरणबद्ध ढंग से व्यापक सीबीसीएल प्रणाली को डिजाइन और विकसित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा राज्यों को, राज्यों से राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसएनए) को और एसएनए से उपभोक्ताओं को पारदर्शी ढ़ंग से कोयला आबंटन को मॉनीटर करने के लिए कोयला आबंटन मॉनीटरिंग प्रणाली (सीएएस) विकसित की गई है। इस प्रणाली का अभिकल्पन एसएसएन के लधु तथा मध्यम क्षेत्र (पहले के नॉन–कॉर क्षेत्र) के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इस वेब एप्लीकेशन का अभिकल्पन, विकास तथा रख–रखाव एनआईसी क्लाउड पर किया जा रहा है जिसमें सभी दूरस्थ स्टेकधारकों को आपस में जोड़ने तथा शीघ्र निर्णय लेने और पारदर्शिता स्थापित करने से संबंधित कई प्रमुख विशेषताएं हैं। यह पोर्टल मार्च, 2016 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रणाली का संवर्धन कार्य प्रवाह आधारित फीडबैक समाधान तथा किसी वित्तीय वर्ष में एएसएन द्वारा ऑनलाईन कोयला मांग प्रस्तुत करने की व्यवस्था जैसी विशेषताओं सहित किया गया है।

- मंत्रालय में दैनिक कार्यो के लिए निम्नलिखित कुछ मुख्य कार्यालयीन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं:– बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम, एसपीएआरआरओडब्ल्यू, ई–विजिटर, कोल अश्योरेंस मॉनीटरिंग सिस्टम, पे–रोल हेतु कॉम्प्रेहेंसिव डीडीओ, वेतनपर्ची, आयकर तथा जीपीएफ के लिए इंट्राकोल डैशबोर्ड।

- मंत्रालय में ई–गवर्नेंस एप्लीकिशेन को कार्यान्वित किया गया है जो निम्नलिखित हैं : आरटीआई मामलों की देखरेख हेतु आरटीआईएमआईएस, एसीसी रिक्तियों की मॉनीटरिंग के लिए एवीएमएस, लोक शिकायत और संसदीय प्रश्नों तथा अनुपूरक एमआईएस के लिए सीपीजीआरएएमएस।

- आईपी आधारित वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष तथा सचिव, कोयला मंत्रालय के कक्ष में की गई है ताकि अधिकारी इंटरनेट पर एक–दूसरे के साथ अथवा मल्टीप्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सके। मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के साथ बैठकों, अनुवीक्षण, प्रस्तुतीकरण तथा आदान–प्रदान करने के लिए इस सुविधा का व्यापक प्रयोग कर रहा है।

अनुबंध

अनुबंध I

लेखा परीक्षा

कार्यकारी सार की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	पैरा सं./ रिपोर्ट नं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणी का सार	वर्तमान स्थिति
1.	पैरा 4.1 रिपोर्ट सं. 20 2016	लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कोयला खानों की ई–नीलामी के लिए नया तंत्र पूर्व व्यवस्था में एक सुधार था और इसने निजी क्षेत्र के भागीदारों को प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में वस्तुनिष्ठतता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। तथापि,लेखापरीक्षा ने पाया कि वहां कुछ व्यवस्थागत और प्रक्रियागत मामलें थे, जिन्हें ई–नीलामी तंत्र में और सुधार के लिए सम्बोधित किया जाना आवश्यक था,जोनिम्न हैः एन पी वी पर आधारित कोयला खानों के मूलभूत मूल्य की संगणना के लिए धनापूर्ति का आकलन अपेक्षित था जो बदले में संबंधित कोयला खान के कार्यों से संबंधित राजस्व एवं लागतों (पूंजी एवं राजस्व) के आकलनों पर निर्भर था। लेखापरीक्षा ने सी एम पी डी आई एल द्वारा 29 कोयला खानों के मूलभूत मूल्य की संगणना से संबंधित रिकार्ड की जाँच की। यह पाया गया कि कुछ पूर्वानुमानों में अनियमितताओं और अशुद्धियां तथा मूलभूत मूल्यों की संगणना में कई त्रुटियों का संचित परिणाम 15 कोयला खानों में अग्रिम राशि के अवनिर्धारण,छः गैर नियमित क्षेत्र की कोयलाखानों में न्यूनतम मूल्यों और सभी नौ विद्युत क्षेत्र कोयला खानों में संशोधित निर्धारित दरों में अवनिर्धारण के रूप में हुआ।	लंबित
2.	पैरा 4.2 रिपोर्ट सं. 20 2016	मोइत्रा कोयला खान में उसके कुल कोयला भण्डारों का 97 प्रतिशत कोकिंग कोयला था। इसमें वाशरी ग्रेड का कोकिंग कोयला था जिसकी मुख्य रूप से इस्पात के उत्पादन के लिए इस्पात संयत्रों को आपूर्ति की जानी थी तथा इस कोयले को इस्पात संयंत्र में उपयोग के लिए धोया जाना था। एम ओ सी अनुमोदित खान योजना में भी वाशरी को स्थापित करने का एक प्रावधान था। यद्यपि सी आई एल ने धुले हुए कोकिंग कोयले की कीमतों को अधिसूचित नहीं किया था फिर भी सी आई एल की अनुषंगियाँ धुले हुए कोकिंग कोयले को कच्चे कोकिंग कोयले की अधिसूचित कीमत से कहीं अधिक कीमतों पर बेच रही थी। तथापि इस खान के मूलभूत मूल्य की गणना के लिए वाशरी की पूँजीगत लागत तथा संबंधित व्यय के साथ–साथ धुले कोकिंग कोयले की कीमत पर विचार नहीं किया गया था। सी एम पी डी आई एल को मूल्यांकन के समय इस मामले की और संकेत करना चाहिए था और मामले को पुनर्विचार के लिए सी सी ई ए को सदंर्भित किया जाना चाहिए था। अन्यथा,सी सी ई ए के अनुमोदन की भावना को ध्यान में रखते हुए,वह मूल्य जिस पर सी आई एल की अनुषंगियाँ धुले हुए कोकिंग कोयले को बेच रही थी,पर मूलभूत मूल्य की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए था जिसकी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप खान की अग्रिम राशि और फ्लोर मूल्य का अवमूल्यांकन हुआ।	लंबित

क्र.सं.	पैरा सं./ रिपोर्ट नं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणी का सार	वर्तमान स्थिति
3.	पैरा 5.1 रिपोर्ट सं. 20 2016	एस टी डी के खण्ड 3.3.2 में प्रावधान था कि तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं (टी क्यूक्यू बी) जो के पहले 50 प्रतिशत या पाँच टी क्यू बी में हैं,जो भी अधिक हो,उन्हें योग्य बोलीदाता (क्यू बी) के रूप में ई–नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य माना जाएगा। साथ ही,एस टी डी के खण्ड 4.1.1 में प्रावधान था कि दो या दो से अधिक कंपनियों द्वारा निर्मित एक संयुक्त उपक्रम (जे वीवी) जिनके समान एस ई यू थे तथा जो अधिनियम के अनुसार बोली लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से योग्य थे,वे ई–नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम एवं द्वितीय ट्रेंच के दौरान सफलतापूर्वक नीलाम की गई 29 कोयला खानों में से 11 में दो एवं तीन के मध्य विस्तारित क्यूबी उसी कंपनी/मूल कंपनी–अनुषंगी कंपनी संगठन/जे वी संगठन से थीं। लेखापरीक्षा यह आश्वासननहीं प्राप्त कर सकी कि प्रथम दो ट्रेंचों में नीलाम की गई इन 11 कोयला खानों की चरण–प्प बोली के दौरान प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर प्राप्त हुआ। बाद में एम ओ सी ने तृतीय ट्रेंच में नीलाम की गई कोयला खानों के लिए संपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ जून 2015 में खण्ड 4.1.1 को संशोधित किया।	लंबित
4.	पैरा 5.2 रिपोर्ट सं. 20 2016	एस टी डी के अनुसार,एक बोलीदाता के पूर्व आबंटी होने पर,उसके द्वारा कोयला खानों की ई–नीलामी में भागीदारी के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त लेवी का भुगतान करना आवश्यक था। दूसरा अध्यादेश 26 दिसंबर 2014 को जारी किया गया जिसने पूर्व आबंटन की परिभाषा को यह स्पष्ट करते हुए संशोधित किया कि यदि खनन पट्टे को थर्ड पार्टी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो थर्ड पार्टी को पूर्व आबंटी माना जाएगा। हालाकि, सरीसातोल्ली एवं ट्रांस दामोदर कोयला खानों की नीलामी में,जिन्हें 27 दिसंबर 2014 को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था,वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डबल्यू बी पीडी सी एल) को अतिरिक्त लेवी का भुगतान न करने पर अयोग्य घोषित (फरवरी 2015) कर दिया गया। यह कार्य इस तथ्य के बावजूद कि कोयला खानों जिसके लिए डब्ल्यू बी पी डी सी एल को चूककर्ता माना गया था उसके लिए पूर्व आबंटी संशोधित परिभाषा के अनुसार बंगाल एम्टा कोल माइन्स,एक जे वी कंपनी थी, इसलिए यह अयोग्यता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नहीं थी।	लंबित

क्र.सं.	पैरा सं./ रिपोर्ट नं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणी का सार	वर्तमान स्थिति
5.	पैरा 5.3 रिपोर्ट सं. 20 2016	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (एन ए) ने सफल बोलीदाताओं की घोषणा के लिए केन्द्र सरकार को,कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वरीय बोलीदाता का सुझाव दिया। इन नियमों ने केन्द्र सरकार को, एन ए को सफल बोली दाता के पक्ष में कोयला खान के लिए निधान आदेश या ऐसे अन्य बाध्यकारी निर्देश जैसा भी उचित प्रतीत हो जारी करने के लिए निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की। एन ए द्वारा 32 कोयला खानों के लिए वरीय बोलीदाता के लिए सुझाव देने के पश्चात,एम ओ सी ने आठ कोयला खानों के मामले पुनः जाँच के लिए वापस लौटा दिए। एन ए द्वारा विभिन्न प्राचलों के आधार पर की गई पुनः जाँचके परिणामों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात,एम ओ सी ने इन आठ मामलों का निरीक्षण किया और तीन कोयला खानों के सन्दर्भ में 'वरीय बोलीदाता' को 'सफल बोलीदाता'घोषित करने की एन ए की अनुशंसा को अस्वीकार कर दिया। किसी एक विशेष मामले पर टिप्पणी न करते हुए,लेखापरीक्षा का यह दृष्टिकोण है कि एन ए और एम ओ सी द्वारा अन्तिम बोली मूल्यों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्राचलों को सम्मिलित करते हुए जारी विस्तृत दिशा–निर्देश बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और परिहार्य मुकदमेबाज़ी को समाप्त कर सकेंगे।	लंबित
6.	पैरा 5.4.1 रिपोर्ट सं. 20 2016	विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला खानों की नीलामी का उद्देश्य,अर्थ व्यवस्था के लाभ के लिए विद्युत उत्पादन को बढ़ाना और विद्युत के उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए विद्युत क्षेत्र को सस्ते कोयले की आपूर्ति करना था। लेखापरीक्षा का मत है कि भेद्यताओं जैसे कि विद्युत उपभोक्ताओं से विभिन्न शुल्कों की वसूली न किये जाने से संबंधित अनुबंध,निगरानी तंत्र में कमजोरियाँ तथा बैंक गारंटियों के खान के जीवन काल तक वैध न होने के प्रकाश में अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न होने का जोखिम अधिक था। इनसे लम्बे समय में प्रतिरूप की धारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	लंबित
7.	पैरा 5.4.2 रिपोर्ट सं. 20 2016	सी सी ई ए अनुमोदित विधितंत्र ने वहाँ मर्चेन्ट आधार पर आबंटित कोयला खान से संयोजित उत्पादन क्षमता के 15 प्रतिशतविद्युत के विक्रय को स्वीकृत कियाजहाँ विद्युत शुल्क नियमित नहीं थे,इसमें यह भी बताया गया था कि मर्चेन्ट विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कोयला नियमित दरों पर बेची जाने वाली विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले कोयले से अधिक महंगा पड़ेगा। अवरोही तत्पश्चात आरोही बोली के आने के बाद से अतिरिक्त अधिमूल्य के भुगतान की संकल्पना का आंरभ हुआ। हालाँकि,विशेष रूप से मर्चेन्ट आधार पर बेची गई विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयले की मात्रा के लिए अतिरिक्त अधिमूल्य को छोड़ दिया गया। इससे ऐसा परिदृश्य बना जहाँ विद्युत उत्पादक मर्चेन्ट आधार पर बेची जाने वाली विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग पर सरकार को विद्युत खरीद अनुबंध (पीपीपी ए) के अंतर्गत बेची जाने वाली विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किये गए कोयले की तुलना में कम राशि का भुगतान कर रहे होगें,जो कि सी सी ई ए अनुमोदित विधितंत्र के साथ सामंजस्य में नहीं थे।	लंबित

क्र.सं.	पैरा सं./ रिपोर्ट नं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणी का सार	वर्तमान स्थिति
8.	पैरा 6.4.1 तथा 6.4.2 रिपोर्ट सं. 20 2016	ई–नीलामी प्रक्रिया एम एस टी सी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन ई–नीलामी प्लेटफार्म पर की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली में लेखापरीक्षा ट्रेल अपर्याप्त था तथा प्रणाली में विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्र (एस ई यू पी) के साथ पंजीकरण आई डी के संयोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।	लंबित
9'.	पैरा 7.1 से 7.4 रिपोर्ट सं. 20 2016	प्रथम दो ट्रांचों की कोयला खानों का शीघ्र आबंटन किया गया ताकि इन्हें तुरंत उत्पादन में लाया जा सके, क्योंकि उनके आबंटन के निरस्त होने के समय वह पहले से ही उत्पादन कर रहीं थीं/ उत्पादन करने की स्थिति में अपनी सांविधिक अनुमतियों के अग्रिम चरण में थी। यद्यपि सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम हुई कोयला खानों से उत्पादन करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे, लेकिन 26 कोयला खानों जिनके लिए निधान आदेश जारी किये गए थे, में से केवल 11 में ही, उत्पादन आरंभ किया जा सका/खान खोलने की अनुमति जारी हुई। शेष कोयला खानों में उत्पादन आरंभ नहीं हो सका क्योंकि केन्द्र सरकार के स्तर पर एवं राज्य सरकारों के स्तर पर और स्वयं आबंटियों के स्तर पर भी विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियाँ/अनुमोदन लंबित थे। कोयला खानों के परिचालन में हुई देरी इन कोयला खानों की शीघ्र नीलामी करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी जो कि कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करना था, जिससे कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इस्पात,सीमेंट और विद्युत इकाइयों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।	लंबित
10.	पैरा 8.2, 8.3.1 तथा 8.5 रिपोर्ट सं. 20 2016	कोयला खान विकास तथा उत्पादन अनुबंध के प्रावधानों में कोयले के निष्कर्षण तथा प्रयोग के लिए विभिन्न नियम एवं शर्ते निर्धारित की गई थी और इसलिए एक सुदृढ़ तथा प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी में निगरानी तंत्र विकास की प्रक्रिया में था। कोयला नियंत्रक संगठन (सी सीसी ओ) में ई–नीलाम की गई खानों की निगरानी के विभिन्न पहलुओं के लिए भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता का अभाव था जो उनके अधिकार में रखी गई व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा संसाधनों में कमजोरियों से और प्रबलित हुआ।	लंबित
11.	पैरा 8.3.2 तथा 8.4 रिपोर्ट सं. 20 2016	आठ मामलों में कोयला खानों के पूर्व आबंटियों द्वारा सी सी ओ को प्रस्तुत किए गये उत्पादन की मात्रा और राज्य सरकार को प्रस्तुत उत्पादन मात्रा के बीच मेल नहीं था। कोयला खान की नियमित निगरानी एवं निरीक्षण,जो सीसीओ की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक था,के अभाव को दर्शाते हुए पूर्व आबंटियों द्वारा दिए गए उत्पादन आँकडों को दोबारा जाँचने के लिए कोई तंत्र नहीं था। आगे, पूर्व आबंटियों से3536.56 करोड़ की अतिरिक्त लेवी लंबित थी।	लंबित

क्र.सं.	पैरा सं./ रिपोर्ट नं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणी का सार	वर्तमान स्थिति
12.	पैरा 8.6.1 रिपोर्ट सं. 20 2016	अधिनियम में प्रावधान था कि समान विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों में लगी हुई आबंटी कंपनी के किसी भी संयंत्र या उसकी अनुषंगियों के लिए आबंटित कोयला खान से कोयले का उपयोग केन्द्र सरकार को लिखित सूचना (विपथन नोनोटिस) उपलब्ध करने के पश्चात कर सकते हैं। आगे, विद्युत क्षेत्र कोयला खानों की नीलामी उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत उपलब्ध करवाने के उद्देष्य से की गई थी। इस परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि विपथित कोयले की कम लागत के लाभ को 'अन्य विद्युत संयंत्रों' द्वारा उत्पादित विद्युत के उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। तथापि,लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं पा सकी कि संबंधित प्राधिकारियों को समय पर विपथन ब्यौरे भेजे जाने,को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है/रखी गई थी, जो उपभोक्ताओं को सस्ते कोयले का लाभ सुनिश्चित करती है।	लंबित
13.	पैरा 3.1 रिपोर्ट सं. 15 2016	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कर योग्य आय के गलत आकलन और उसके फलस्वरूप अग्रिम आयकर के कम भुगतान के परिणाम स्वस्वरू वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए ₹ 12.38 करोड़ के ब्याज का परिहार्य व्यय हुआ।	लंबित
14.	पैरा 3.2 रिपोर्ट सं. 15 2016	आवश्यकता से काफी पहले ऋण लेने और बाद में पूर्व समाप्ति के परिणाम स्वरूप ₹ 10.31 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।	लंबित
15.	पैरा 4.1 रिपोर्ट सं. 11 2016	मई 2007 में कोयला मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने अपने मुख्यालय, धनबाद में अपने आवासीय मकानों में बिजली मीटरों को लगाने की कोई पहल नहीं की थी तथा अपने कर्मचारियों को नाममात्र की दरों पर बिजली की आपूर्ति को जारी रखा जिसका परिणाम 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.16 करोड़ की सीमा तक ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली में हुआ।	लंबित

कोयला मंत्रालय की संगठन संरचना

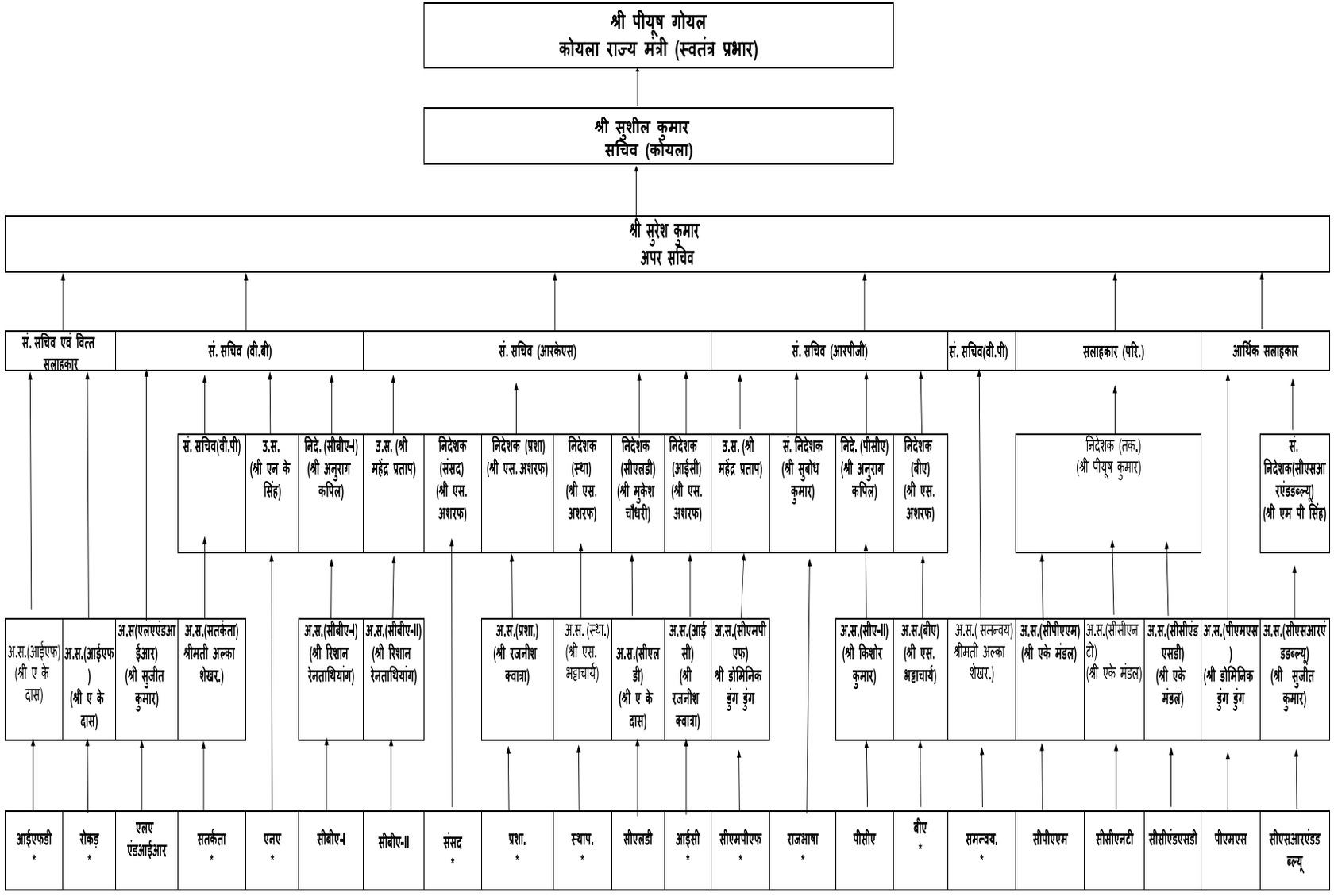

* इन अनुभागों का कार्य संयुक्त सचिव स्तर से सीधा सचिव के पास जाता है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट : **http://www.coal.nic.in**